दिनॉक 20-11-2018 को मुख्यालय पर समस्त जोनल एडीशनल कमिश्नर की समीक्षा बैठक का कार्यवृत्त

अपर मुख्य सचिव, वाणिज्य कर एवं मनोरंजन कर तथा कमिश्नर, वाणिज्य कर, उ0प्र0 द्वारा जोनवार समीक्षा बैठक में समीक्षोपरान्त सभी जोनल एडीशनल कमिश्नर से निम्नवत् कार्य बिन्दुओं पर अपेक्षित कार्यवाही कराने के निर्देश दिये गये।

1. सभी जोन में रिटर्न की मॉनीटरिंग नहीं की जा रही है, यह स्थिति बहुत ही खराब है, यह जोनल साप्ताहिक बैठक का एजेण्डा है, जिसे मुख्यालय के पत्र संख्या-241, दि0 27-08-2018 द्वारा प्रेषित किया गया था। विभागीय वेबसाईट पर उपलब्ध एमआईएस रिपोर्ट / डीलर मॉनीटरिंग मॉड्यूल में कई रिस्क पैरामीटर पर ऑकड़े एवं सूचियॉ डीलरवार उपलब्ध है (यथा- नान फाईलस जीएसटीआर-3बी, नान फाईलर्स जीएसटीआर-4 सामाधान, ई-वे बिल विवरण, Zero Tax Sale Purchase, Redflag पैरामीटर, GSTN, EwayBill Download but return not filed, GSTR-1 filed but 3B not filed आदि), लेकिन फील्ड स्तर पर कोई कार्य परिलक्षित नहीं हो रहा है। माईग्रेटिड नान फाईलर्स भी अभी तक सभी जोन में यथावत् बने हुए हैं। यह असन्तोषजनक है। पर्यवेक्षणीय अधिकारी ज्वाइंट कमिश्नर (कार्य0) स्तर पर अनुश्रवण नहीं किया जा रहा है। साप्ताहिक जोनल बैठक पत्र संख्या-241, दि0 27-08-2018 के द्वारा प्रेषित प्रारुप में भी इसका अनुश्रण एडीशनल कमिश्नर ग्रेड-1 स्तर से ठीक नहीं हो रहा है। गत बैठक में इन सभी पैरामीटर पर कार्यवाही कराने के निर्देश दिये जाने के बावजूद भी कार्य नहीं किया गया है। अत: इसके लिए सभी जोन को अप्रसन्नता व्यक्त की जाती है।

(कार्य0 समस्त एडी0कमि0/ज्वा0कमि0(कार्य0) अनु0 ज्वा0कमि0(धारा-59))

2. वैट एमआईएस के अन्तर्गत जी0एस0टी0आई0एन0 नेट पेमेण्ट रिपोर्ट में जी0एस0टी0 राजस्व संग्रह IGST Paid from SGST/UTGST ITC, SGST/UTGST Paid from IGST ITC एवं Cash Deposited as SGST के रुप में जोन / सम्भाग / अधिकारी / डीलरवार उपलब्ध है। उक्त शीर्षक में प्राप्त राजस्व का गत वर्ष के संगत माह से तुलनात्मक परीक्षण करा लिया जाये कि किन कारणों से अधिक कमी / वृद्धि आ रही है तथा क्या यह वास्तविक है, कहीं करापवंचन तो नहीं हो रहा है।

(कार्य0 समस्त एडी0कमि0/ज्वा0कमि0(कार्य0) अनु0 ज्वा0डाय0(संख्या))

"वाणिज्य कर विभाग, आपके द्वार" कार्यक्रम को पत्र संख्या-806, दि0 26-11-2018 के द्वारा दि0 31-12-2018 तक कर दिया गया है तथा इससे सम्बन्धित Abhyuthan App में अन्य अपेक्षित प्रविष्टियों को जोड़ते हुए अपडेट कर दिया गया है। अत: सभी सम्बन्धित अधिकारी अपने मोबाईल में ऐप को अपडेट करते हुए अग्रेतर कार्यवाही सुनिश्चित करेंगे। 01 नवम्बर-18 के बाद जारी पंजीयन के लिए पत्र संख्या-1080, दि0 14-11-2018 का अनुपालन सुनिश्चित कराया जाये, क्योंकि बोगस पंजीयन गलत प्रपत्रों के आधार पर लिए जा रहे हैं, इसलिए जॉच के समय पंजीयन के साथ दाखिल प्रपत्रों की जॉच भी अवश्य की जाये।

(कार्य0 समस्त एडी0कमि0/ज्वा0कमि0(कार्य0) अनु0 ज्वा0कमि0(निरीक्षण))

4. बकाया वसूली सभी जोन की माह अक्टूबर-18 में खराब है। माह में प्रयागराज (इलाहाबाद) को छोड़कर सभी जोन की गत वर्ष की अपेक्षा कम वसूली, माह तक में भी लखनऊ प्रथम को छोड़कर सभी जोन ऋणात्मक है। बकाया वसूली के विभिन्न मदों में प्रदर्शित ऑकड़ों को शुद्ध एव सही कर प्रेषित करने के गत बैठक दि0 22-10-2018 में निर्देश दिये गये थे, लेकिन किसी भी जोन में कोई सुधार नहीं हुआ। रु0 1 करोड़ से अधिक के बकायेदारों की स्थिति भी अधिकॉश जोन में यथावत् बनी हुई है। अत: न तो ऑकड़ों में सुधार हुआ है और न ही बसूली की स्थिति अच्छी है। अत: बकाया वसूली में अपेक्षित प्रगति न होने के कारण सभी जोन को अप्रसन्नता व्यक्त की जाती है और अपेक्षा की जाती है कि अगले माह की बैठक से पूर्व सुधार कर लिया जाये अन्यथा जो अधिकारी / अमीन अपेक्षित वसूली नहीं कर रहे हैं, उनका यथोचित कार्यवाही करते हुए मुख्यालय स्तर पर कार्यवाही हेतु कारण / प्रस्ताव बनाकर लायें।

(कार्य0 समस्त एडी0कमि0/ज्वा0कमि0(कार्य0) अनु0 ज्वा0कमि0(संग्रह))

5. विभिन्न वर्षों के बकाया प्रवेश कर का मूलधन अभी भी जोन गाजियाबाद प्रथम रु0 34.57 लाख, इटावा रु0 112.14 लाख, बरेली रु0 2.22 लाख व मेरठ रु0 54.55 लाख अवशेष है और ऑकलित ब्याज भी जोन गाजियाबाद प्रथम/द्वितीय रु0 267.09 / रु0 98.23 लाख, वाराणसी द्वितीय रु0 306.00 लाख, आगरा रु0 1740.24 लाख, प्रयागराज रु0 25422.46 लाख, इटावा रु0 218.48 लाख, मेरठ रु0 210.71 लाख, मुरादाबाद रु0 27.21 लाख, फैजाबाद रु0 411.96 लाख, गोरखपुर रु0 50.78 लाख, झाँसी रु0 228.67 लाख, अलीगढ़ रु0 20.63 लाख अवशेष हैं। कारपोरेट सेक्टर (आयल) रु0 3092.33 करोड़ ब्याज के रुप में अवशेष है। निर्देशित किया गया कि अवशेष मूलधन व बकाया जमा कराया जाये।

(कार्य0 समस्त एडी0कमि0/ज्वा0कमि0(कार्य0) अनु0 ज्वा0कमि0(संग्रह/आयल सेक्टर))

6. वर्ष 2015-16 के वि0अनु0शा0 वादों का निस्तारण अभी भी नहीं हुआ है यदि यह निस्तारण दि0 30-09-2018 तक कर दिया जाता तो सृजित माँग की वसूली भी हो जाती। कानपुर प्रथम 40, कानपुर द्वितीय 78, वाराणसी प्रथम 45, वाराणसी द्वितीय 252 अभी भी पेण्डिंग है, जो असन्तोषजनक निस्तारण की श्रेणी में आता है, क्योंकि दि0 30-09-2018 तक निस्तारित करने के निर्देश दिये गये थे। वर्ष 2016-17 के भी वि0अनु0शा0 वाद पेण्डिंग है। बैठक में निर्देश दिये गये कि रु0 01 करोड़ से अधिक करापवंचित टर्नओवर वाले सभी वादों वर्ष 2016-17, वर्ष 2017-18 (वैट अवधि) का निस्तारण प्रत्येक दशा में दि0 31-12-2018 तक कर दिया जाये। इसमें शिथिलता नही होनी चाहिए, क्योंकि यह राजस्व की दृष्टि से महत्वपूर्ण वाद है। इनका निस्तारण करने एवं तामीली होने पर सृजित माँग की वसूली इसी वित्तीय वर्ष में सम्भव हो सकेगी।

(कार्य0 समस्त एडी0कमि0/ज्वा0कमि0(कार्य0) अनु0 ज्वा0कमि0(निरीक्षण) / (वि0अनु0शा0))

7. जी0एस0टी0 में भी वि0अनु0शा0 रिपोर्ट कर निर्धारण स्तर पर आई है, जिसमें भी कार्यवाही प्रथमिकता पर उ0प्र0 जीएसटी अधिनियम-2017 के अन्तर्गत पूर्ण कराई जाये, जिसका ज्वाइंट कमिश्नर (कार्य0) एवं एडीशनल कमिश्नर ग्रेड-1 के द्वारा अनुश्रवण किया जायेगा।

(कार्य0 समस्त एडी0कमि0/ज्वा0कमि0(कार्य0) अनु0 ज्वा0कमि0(निरीक्षण) / (वि0अनु0शा0))

8. वर्ष 2018-19 के कालवाधित वादों को सम्भाग के अधीनस्थ सभी अधिकारियों डिप्टी कमिश्नर, असिस्टैन्ट कमिश्नर, वाणिज्य कर अधिकारी के मध्य एक ही लोकेशन पर समानुपातिक रुप से विभाजन प्रत्येक दशा में इसी माह कर दिया जाये, जिससे समयबद्ध निस्तारण होकर उनसे सृजित माँग की इसी वित्तीय वर्ष में वसूली हो सके, क्योंकि चार माह शेष हैं, अभी भी काफी मात्रा में वाद निस्तारण हेतु अवशेष हैं।

(कार्य0 समस्त एडी0कमि0/ज्वा0कमि0(कार्य0) अनु0 ज्वा0कमि0(निरीक्षण))

9. धारा-31/32 में यद्यपि जोन में निस्तारण हुआ है, लेकिन गाजियाबाद प्रथम 273, गाजियाबाद द्वितीय 220, नोएडा 200, लखनऊ प्रथम 394, लखनऊ द्वितीय 206, वाराणसी प्रथम 451, वाराणसी द्वितीय 839, इलाहाबाद 341,इटावा 961, मेरठ 217, फैजाबाद 488, गोरखपुर 262, झाँसी 1552 व अलीगढ़ 610 अवशेष हैं, जो अभी भी बहुत अधिक हैं। एक माह से अधिक पुराने प्रार्थना पत्रों में गाजियाबाद प्रथम 138, गाजियाबाद द्वितीय 81, लखनऊ प्रथम 208, वाराणसी प्रथम 127, वाराणसी द्वितीय 115, इटावा 329, फैजाबाद 350, झाँसी 619 व अलीगढ़ 177 है। इस प्रकार निस्तारण की स्थिति कहीं से उचित नहीं है। गत बैठक दि0 22-10-2018 में स्पष्ट निर्देश थे कि अभियान चलाकर इनका निस्तारण कराया जाये। इससे माँग रुक जाती है और वसूली प्रभावित होती है। इनका निस्तारण प्राथमिकता पर कराया जाये अन्यथा ऑकड़े सुधार न होने पर अगले माह की बैठक में प्रतिकूल निष्कर्ष निकाला जायेगा।

(कार्य0 समस्त एडी0कमि0/ज्वा0कमि0(कार्य0) अनु0 ज्वा0कमि0(संग्रह))

10. लोकलेखा समिति (PAC) की बैठक दि0 29-10-2018 एवं दि0 30-10-2018 को हुई थी। जिसमें ए0जी0 आडिट वर्ष 2001-02, वर्ष 2011-12(ऑशिक), वर्ष 2012-13 एवं वर्ष 2013-14 (ऑशिक) के प्रतिवेदन शामिल किये गये थे। इस सम्बन्ध मं उल्लिखित प्रस्तरों पर अद्यतन् टिप्पणी फील्ड स्तर से ज्वाइंट कमिश्नर (कार्य0) से माँगी गई थी, लेकिन कतिपय् ज्वाइंट कमिश्नर (कार्य0) द्वारा अद्यतन् टिप्पणी न भेजकर पूर्व का अनुपालन ही भेज दिया गया था, जो

उचित नहीं है और लापरवाही का द्योतक है। अत: अद्यतन् टिप्पणी के लिए ज्वाइंट कमिश्नर (आडिट) द्वारा विवरण उपलब्ध कराया गया कि पुन: अद्यतन् टिप्पणी भेज दी जाये। कोई भी अनुपालन भेजते समय ज्वाइंट कमिश्नर (कार्य0) का यह दायित्व है कि स्वयं भलीभॉति विधिक परीक्षण कर अनुपालन अद्यतन् भेजा जाये।

(कार्य0 समस्त एडी0कमि0/ज्वा0कमि0(कार्य0) अनु0 ज्वा0कमि0(आडिट))

11. जी0एस0टी0 के रिफण्ड प्रार्थना पत्रों का विधि अनुसार समय से निस्तारण किया जाना चाहिए। एडीशनल कमिश्नर ग्रेड-1 अपनी लॉगइन से निस्तारण की फीडिंग यथावत् करते रहेंगे। इसके संशोधन का एक कालम जी0एस0टी0एन0 से बढ़ाया गया है। इसकी सूचना भरकर साप्ताहिक भेजी जायेगी।

(कार्य0 समस्त एडी0कमि0/ज्वा0कमि0(कार्य0) अनु0 ज्वा0कमि0(वाद/जी0एस0टी0))

12. संज्ञान मे आया है कि अधिकारियों के द्वारा निरस्त किये गये पंजीयन से ई-वे बिल डाउनलोड किये गये हैं। अत: जिन व्यापारियों का पंजीयन निरस्त किया जाता है, उसकी सूचना मुख्यालय के सचल दल अनुभाग के डिप्टी कमिश्नर श्री विधुशेखर पाण्डेय को ई-मेल आई0डी0 vidhushekhar1966@gmail.com पर अवश्य उपलब्ध कराई जाये, ताकि उनके ई-वे बिल डाउनलोड करने की सेवा बाधित की जा सके।

(कार्य0 समस्त एडी0कमि0/ज्वा0कमि0(कार्य0) अनु0 ज्वा0कमि0(सचल दल))

बैठक के अन्त में राजस्व संग्रह वृद्धि हेतु हर सम्भव प्रयास सुनिश्चित करने एवं शत-प्रतिशत रिटर्न दाखिल कराये जाने की अपेक्षा के साथ सधन्यवाद बैठक समाप्त की गई।

यह कार्यवृत्त कमिश्नर, वाणिज्य कर, उ0प्र0 से प्राप्त अनुमोदन के क्रम में जारी किया जा रहा है।

29/11/2018

(ए0के0 शुक्ला)
एडीशनल कमिश्नर (विधि) वाणिज्य कर,
उत्तर प्रदेश।

पत्र संख्या:एस0एस0-मु0 मासिक बैठक-2018-19/ 562 **/वाणिज्य कर(संख्या अनुभाग) दि0 :** 29/11/ **,2018**

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. अपर मुख्य सचिव, वाणिज्य कर एवं मनोरंजन कर, उ0प्र0 शासन को सादर अवलोकनार्थ।
2. समस्त एडीशनल कमिश्नर ग्रेड-1, वाणि0 कर, उ0प्र0।
3. एडीशनल कमिश्नर, वाणिज्य कर, उ0प्र0।
4. एडीशनल कमिश्नर (प्रशासन) (विधि)(लेखा) (जी0एस0टी0)(एसटीएफ-1एवं 2,आईएमयू) वा0कर,मु0।
5. ज्वाइन्टकमिश्नर(संग्रह)(धारा-59)(वाद)(निरीक्षण)(आई0टी0)(संख्या)/(सचलदल)/(वि0अनु0शा0)/(जी0एस0टी0)/(आडिट)/(आयल सेक्टर) वा0कर, मुख्यालय।
6. वरिष्ठ स्टाफ अधिकारी-प्रथम/द्वितीय, वाणिज्य कर, मुख्यालय।
7. डिप्टी कमिश्नर (आई0टी0) को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।

29.10.18

ज्वाइंट डायरेक्टर (संख्या) वाणिज्य कर,
मुख्यालय, लखनऊ।